ORIGINAL ARTICLE ISSN:- 2231-5063

Golden Research Thoughts

सारांश :

भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा था कि महिलाओं को भी स्थानीय शासन में पुरूषों के समान ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 (3) में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं और बच्चों के लिये राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति दी गयी है।भारत में पंचायतों के तीसरे चरण महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है, अतः 73 वाँ संशोधन के अन्तर्गत पंचायत तथा स्थानीय स्वशासकीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73 वाँ संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्तर पर निर्वाचित होगी। जिनमें पंच, सरपंच, जिला पंचायत सभी स्तर सम्मिलित है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया।

मुख्य शब्द – महिला, पंचायतीराज एवं सहभागिता ।

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

जयन्ती पयासी

अतिथि विद्वान, राजनीति विज्ञान विभाग ,महाराणा प्रताप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ,गाडरवारा (म.प्र.)

प्रस्तावनाः—

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रकिया में सुनिश्चित करने की है बल्कि उनके विकास संबंधी उद्दश्यों को कार्यान्वित करने की भी थी। महिलायें पंचायतीराज में इन रूपों में सहभागी हो सकती हैं।

❖ महिला मतदाता के रूप में।
❖ राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में।
❖ प्रत्याशियों के रूप में।
❖ पंचायतीराज संस्था के निर्वाचित सदस्य के रूप में।
❖ महिला मंडल के सदस्यों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सहभागी के रू॰ में।

अतः 73 वें संशोधन में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक मील का पत्थर के समान है।पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गयी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नहीं आता है। महिलाओं के लिये आरक्षण की घोषणा की प्रतिकिया एक तरफ उत्तेजना भरी तथा खुशी प्रदान करने वाली है तथा दूसरी तरफ घबराहट तथा चिन्ता वाली भी है। सबसे बड़ी समस्या पंचायत के तीनों स्तरों के लिए चुनाव के समय तक 7.95 लाख महिलाओं को खोजने की थी।

विश्लेषण – पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को प्रभावकारी बनाने के लिये सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें 73 वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के विषय में जागरूक किया जाये। अनेक महिला संगठन तथा सहकारी अभिकरण महिलाओं को जागरूक बनाने तथा चुनावों में आगे आने के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिहार में राज्य सरकार ने महिलाओं की भूमिका पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। ''इंडियन एसोसियन ऑफ बुमेन स्टडीज'' ने देश भर में महिला मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने का अभियान प्रारम्भ किया है। रेडियों तथा दूरदर्शन के माध्यम से जिले के दूर–दराज इलाकों में पंचायत संबंधी सूचना दी जा सकती है, इन प्रसारण केन्द्रो से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण का समय बढ़ाया जाये तथा विभिन्न समुदायों के स्थानीय लोगो तथा महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये, यह सुझाव आगे प्रस्तावित है। यह सुझाव जब लागू हो जाते हैं तो पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।

★ महिला शिक्षा :– महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त उन्हें पंचायत व्यवस्था के विषय में शिक्षा देना भी आवश्यक है। महिलाओं को विभिन्न विकास कार्यकमों की नीतियों और महिलाओं तथा बच्चों से सम्बद्ध विषयों से अवगत कराया जा सकेगा।

★ ऑल वुमेन पंचायत :– महिलाओं की प्रभावकारी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक और सुझाव है कि कानून द्वारा महिला पंचायत (ऑल वुमेन) का गठन किया जाये ताकि ग्रामीण समाज के परम्परागत तौर–तरीकों को बदला जा सके। महिला पंचायतों के प्रभावी होने से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है।

★ उचित प्रशिक्षण :– महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए तीन

बड़े संस्थाओं को चुना गया।

❖ नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेन्ट हैदराबाद।
❖ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली।
❖ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी।

इन तीनों संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई थी।

लोकसभा से लेकर विधान सभाओं तक का शासन जनता के द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है और इस कारण से हम कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन इस लोकतंत्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि चुनाव हर पाँच वर्ष में एक बार होता है। एक बार चुनकर गये प्रतिनिधि जो भी कार्य कर सकें या निर्णय ले वह उन लोगों के सम्मिलित विवेक पर निर्भर करता है। उसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। इसके अतिरिक्त अवैधानिककार्य करने वाले प्रतिनिधियों या पार्टी को अगले आम चुनाव में हम उन्हें सत्ता से हटा तो सकते हैं लेकिन पुनः नये चुने हुये प्रतिनिधियों के विवेक पर निर्भर है। अर्थात् जनता केवल प्रतिनिधियों के चुनाव कर सकती है उन्हें निर्देश नहीं दे सकती। जनता केवल निर्देश के रूप में अपना 'मत' ही दे सकती है। नई पंचायतीराज व्यवस्था इस संदर्भ में एक कांतिकारी कदम है जिसके द्वारा हम न केवल पंचायतों को चुन सकते हैं बल्कि समय–समय पर उनके काम काज की समीक्षा भी कर सकते हैं और उचित निर्देश भी दे सकते हैं।

निष्कर्ष –

पंचायतों के जहाँ एक ओर अधिक स्वतंत्रता देते हुये उन्हें प्रशासनिक घेरे से बाहर निकाला गया है वहीं दूसरी तरफ आम जनता या मतदाताओं को स्थानीय स्तर पर सत्ता के संचालन में और अधिक प्रभावी भूमिका बनाई गई है। जिससे यह आवश्यक हो गया है कि पंचायत अपने सभी कार्यो और भविष्य की योजनाओं की जानकारी आम जनता या ग्राम सभा के सदस्यों को दें। नवीन पंचायतीराज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कि देश में गांव तथा स्थानीय स्तर पर

ऐसा शासन तंत्र विकसित किया जा सके जिसके द्वारा समस्याओं और विभिन्न कार्यों के लिए निर्णय लेने की प्रकिया में अधिक लोग शामिल हों। पंचायतीराज को यदि सत्ता में जनता की भागीदारी की दृष्टि से देखा जाये तो ग्राम सभा एक ऐसा माध्यम है, जहाँ न केवल निर्णय लेने में लोगों के जुड़ने की संभावना है बल्कि स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं का जनता का सीधे नियंत्रण भी हो सकता है इस प्रकार मुख्य रूप से नवीन पंचायतीराज की अवधारणा ग्राम पंचायत पर निर्भर करती है।

संदर्भ –

1.द्विवेदी राधेश्याम – ''मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम सुविधा ला हाउस, इन्दौर 1993
2.जैन श्रवण कुमार – ''मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1993'' द लॉ होम, इन्दौर 1994 पृष्ठ 443 से 448
3.ग्रामीण विकास न्यूज लेटर 8 जुलाई 1997 पृष्ठ 8
4.सिंह डॉ. आर.पी. – ''महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतीराज व ग्राम विकास'' आदित्य पब्लिशर्स नई दिल्ली 2011 पृष्ठ 39